BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 136/2023

IN THE MATTER OF:

Petitioner Gaur Singh Nishad & Anr.

Versus

Respondents State of Chhattisgarh & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Joint Committee Report in Compliance of Order Dated 11.10.2023		02-04
2.	Copies of Joint Committee Report and Order dated 20.10.2023	**R-1 (Colly.)**	05-07
3.	Copy of Panchanama dated 13.12.2023	**R-2**	08-09
4.	copy of Letter dated 20.12.2023	**R-3**	10-12
5.	copy of letter dated 26.12.2023	**R-4**	13

Place: Bhopal **CECB**
Date: 04.02.2024

Parul

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for CECB
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 136/2023

IN THE MATTER OF:

Petitioner Gaur Singh Nishad & Anr.

Versus

Respondents State of Chhattisgarh & Ors.

JOINT COMMITTEE REPORT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 11.10.2023

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :-

1. That the present Original Application letter petition has been filed by Gaur Singh Nishad alleging that illegal sand mining is being done by the violators of law and respondents named in the application from the Mahanadi in the village Sialdeep by using JCB and dumping the sand on the roads and using it for commercial purposes.

2. That, the answering respondent, Chhattisgarh Environment Conservation Board (hereinafter referred to as "CECB") is the authority constituted by the State Government of Chhattisgarh under Section 4 of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974 as a guardian of environment for the proper implementation of environmental laws and regulations.

3. That this Hon'ble Tribunal vide Order dated 11.10.2023 directed the constitution of a Joint Committee comprising of 1) Collector, District Dhamtari, Chhattisgarh or his representatives; 2) One representative from the State Pollution Control Board, Chhattisgarh. That in compliance of the aforementioned, vide Order dated 20.10.2023 a Joint Committee was constituted comprising of for the inspection.

The copies of Joint Committee Report and Order dated 20.10.2023 are marked and annexed herewith as **Annexure R-1 (Colly.)**

4. That on 13.12.2023 an on-site inspection was conducted by the Joint Committee in the presence of the complainant and a Panchnama dated 13.12.2023 was prepared. It is pertinent to note here that neither any illegal sand mining nor illegal storage of sand was observed t the complaint site in the village of Sialdeep. A copy of Panchanama dated 13.12.2023 is marked and annexed herewith as **Annexure R-2**.

5. It is further pertinent to note here that the office of the Tehsildar, Kurud, District-Dhamtari (Chhattisgarh), vide letter dated 20.12.2023, conducted demarcation and sent the report to the Office of the Collector (Mining Department), District-Dhamtari (Chhattisgarh wherein, the government land bearing Khasra number 939, with an area of 70.69 hectares, located in the village Saildeep, is recorded in the revenue records as submerged under water (Mahandi River). Additionally, it has been noted in the report that there is no evidence of unauthorized sand excavation in the aforementioned area. A copy of Letter dated 20.12.2023 is marked and annexed herewith as **Annexure R-3**.

6. That the Joint Committee reviewed the information presented vide letter dated 26.12.2023, issued by the Office of the Collector (Mining Department), District-Dhamtari (Chhattisgarh). Wherein it was recorded that from the period of 17.10.2018 to 14.06.2019, a sand mining lease was granted to the village Saildeep, at Khasra number 939, with a total area of 70.69 hectares, out of which 5.00 hectares were approved for sand excavation. The operation of the mine was carried out by the Gram Panchayat Saildeep and amount of 17,00,000/- INR was received by the Gram Panchayat as revenue from the mining operation.

Furthermore, in the village Saildeep, permission for sand storage has been granted to the resident of Paragbade at Khasra number 154/1.2, covering an area of 0.86 hectares, for a duration from 27.05.2021 to 26.05.2024, encompassing 14790 cubic meters. A copy of letter dated 26.12.2023 is marked and annexed herewith as **Annexure R-4**.

7. In the light of the above facts, the Joint Committee is of the opinion that no evidence of illegal sand excavation or unauthorized sand storage has been found in village Saildeep and therefore, no other action is proposed in relation to the case.

Place: Bhopal
Date: 04.02.2024

CECB

Parul

FILED BY
PARUL BHADORIA
Advocate for CECB
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

ओ.ए. क्रमांक 136/2023(सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के परिपालन में तैयार एक्शन टेकन रिपोर्ट।

Annexure R-1 (Colly.)

- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओ.ए. क्रमांक 136/2023(सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 में प्रकरण के संबंध में जांच हेतु कलेक्टर, जिला–धमतरी (छ.ग.) या उनके प्रतिनिधि तथा छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रतिनिधि के संयुक्त दल का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम– सेलदीप, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी, क्षेत्र (छ.ग.) में अवैध रेत उत्खनन के संबंध में आवश्यक जांच एवं प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियो के दल का गठन किया गया (संलग्नक–01 अनुसार):–
    1. श्री सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरुद
    2. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर
    3. श्री बजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी, धमतरी
- प्रकरण के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.12.2023 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया तथा पंचनामा तैयार किया गया (संलग्नक–02 अनुसार)। निरीक्षण में शिकायत स्थल ग्राम– सेलदीप में अवैध रेत उत्खनन की स्थिति नही पाई गई। साथ ही ग्राम–सेलदीप में अवैध रेत भण्डारण की स्थिति भी नही पाई गई।
- कार्यालय तहसीलदार, कुरुद, जिला–धमतरी (छ.ग.) द्वारा पत्र क्रमांक 132/तह./वा. 1/2023 कुरुद, दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से स्थल जांच सीमांकन प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी (छ.ग.) को प्रेषित किया गया (संलग्नक–03 अनुसार), जिसका अवलोकन समिति द्वारा किया गया। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार ग्राम–सेलदीप स्थित शासकीय भूमि ख.नं.–939 रकबा– 70.69 हेक्टेयर की भूमि पानी के नीचे (महानदी) के रुप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। साथ ही उक्त क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नही होने के संबंध में भी लेख किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–धमतरी (छ.ग.) द्वारा पत्र क्रमांक 2331/खनिज/विधि./रेत/शिका./2023 धमतरी, दिनांक 26.12.2023 (संलग्नक–04 अनुसार) के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन समिति द्वारा किया गया। उक्त जानकारी अनुसार अवधि दिनांक 17.10.2018 से दिनांक 14.06.2019 तक ग्राम–सेलदीप के पक्ष में खसरा क्रमांक 939 रकबा 70.69 हेक्टेयर मे से 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत खदान स्वीकृत रही, जिसका संचालन ग्राम–पंचायत सेलदीप के द्वारा किया जाता था। खदान संचालन से ग्राम–पंचायत को राशि 17,00,000/– रुपये राजस्व के रुप में प्राप्त हुआ है। साथ ही ग्राम–सेलदीप में ख.नं.–154/1,2 रकबा 0.86 हेक्टेयर क्षेत्र में

परागबढे निवासी दुर्ग को 14790 घनमीटर के लिये अवधि दिनांक 27.05.2021 से दिनांक 26.05.2024 तक रेत भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत रही है।

- उक्त तथ्यों के प्रकाश में समिति का यह मत है कि ग्राम–सेलदीप में अवैध रेत उत्खनन अथवा अनाधिकृत रेत के भण्डारण के साक्ष्य नही पाये गये है। अतः प्रकरण के संबंध में अन्य कार्यवाही प्रस्तावित नही है।

बजरंग पैकरा
खनि अधिकारी, जिला–धमतरी

प्रसन्ना सोनकर,
सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

सोनाली डेविड
डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तहसील –कुरुद, जिला–धमतरी

संलग्नक – 01

कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.)

ई-मेल आईडी dhamtari.cg@nic.in दूरभाष क. 07722–237592, फैक्स न. 07722–237114

/ / आदेश / /

कमांक / 8454 / व.लि.–1 / पर्यावरण / 2023 धमतरी, दिनांक 20 / 10 / 2023

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कमांक 5823 / विधि / छ.ग.प.सं.म. / 2023 अटल नगर दिनांक 17.10.2023 के द्वारा ओ.ए.कमांक 136 / 2023 (सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ छ.ग. एवं अन्य में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 में प्रकरण ग्राम सियालदीप, तहसील कुरूद जिला धमतरी में अवैध रेत उत्खनन की जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की टीम गठित की जाती है –

1. श्री सोनाल डेविड, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरूद
2. श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्या.छ0ग0पर्या. संरक्षण मंडल,
3. श्री बजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी धमतरी

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के आदेशानुसार प्रकरण की संयुक्त जांच कर रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें।

कलेक्टर,
जिला धमतरी

पृ. कमांक 8455 / व.लि.–1 / पर्यावरण / 2023 धमतरी, दिनांक 20 / 10 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर –19 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.
2. प्रभारी अधिकारी, (विधि शाखा) जिला कार्यालय धमतरी
3. श्री सोनाल डेविड, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरूद
4. श्री प्रसन्ना, सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रतीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर –19 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.).
5. श्री बजरंग पैकरा, खनिज अधिकारी धमतरी

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला धमतरी

Annexure R-2

पंचनामा

स्थान - सेलद्वीप
दिनांक. 13/12/2023

आज दिनांक 13/12/2023 को ग्राम सेलद्वीप तह कुरूद जिला धमतरी, में कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र० 8454 दि० 20/10/2023 के परिपालन में राजस्व, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्या. मण्डल, रायपुर एवं खनिज विभाग के संयुक्त टीम द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज प्रकरण क्रमांक OA NO 136/2023 में पारित आदेश दिनांक 11/10/2023 पर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में शिकायत कर्ता श्री गौरसिंग निषाद व अन्य ग्रामवासि सेलद्वीप के उपस्थिती में शिकायती क्षेत्र ग्राम सेलद्वीप के ख.क्र. 939 का भाग रकबा 5.00 हे० क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र पूर्व में दिनांक 17/10/2018 से 14/06/2019 तक स्वीकृत था। वर्तमान मे उक्त क्षेत्र पर किसी प्रकार का उत्खनन किया जाना नही पाया गया, तथा ग्राम सेलद्वीप के खसरा क्र. 254/1,2 रकबा 0.86 हे. में श्री परागजैन निवासी दुर्ग को 14790 घन मीटर रेत भण्डारण के लिए 27/05/2021 से 26/05/2023 तक भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त है। ग्राम सेलद्वीप व ग्राम करेलीछोटी में आपसी सहमति से नदी क्षेत्र मे आवागमन हेतु रेम्प का निर्माण किया गया है तथा स्वीकृत रेत खदान ग्राम करेलीछोटी के लिए रेत निकासी के लिए उक्त रेम्प का उपयोग किया जाता था।

पंचनामा लिखा गया, पढ़कर सुनकर सत्य की पुष्टि होनेपर हस्ताक्षर किया गया।

(1) श्री भरत भूषण साहू पि.श्री मनीराम साहू निवासी - सेलद्वीप तह. कुरूद जि. धमतरी — Bsahu

(2) श्री राजेन्द्र कुमार साहू पि.श्री वंशीराम साहू निवासी - सेलद्वीप ... — राजेन्द्र कुमार

(3) श्री. गौरसिंग निषाद पि.श्री दुखराम निषाद
निवासी. सेलदीप तह कुरूद जि० धमतरी — [signature]

(4) श्री. संतुसदास मानिकपुरी पि.श्री. गौतमदास
ग्राम कोशवाल. सेलदीप तह कुरूद जि०धमतरी — [signature]

(5) श्री रिकेश निषाद पि०श्री. बिसाहू
ग्राम सेलदीप तह कुरूद जि० धमतरी — [signature]

(6) श्री. रोशन साहू पि०श्री पुरूषोत्तम
ग्राम सेलदीप तह कुरूद जि० धमतरी — Roshan

(7) श्री. चित्रसेन यादव पि०श्री छन्नूलाल
ग्राम सेलदीप तह कुरूद जि० धमतरी — [signature]

(8) श्री. रोहित कंवर पि० श्री सुखेर सिह
ग्राम सेलदीप तह कुरूद जि० धमतरी — [signature]

(9) श्री भीमसेन साहू /पि०श्री लाल सिंग
निवासी. सेलदीप तह. कुरूद जि० धमतरी — भीमसेन साहू

(10) श्री डोमन निषाद पि०श्री. उभय लाल
निवासी. सेलदीप तह. कुरूद जि. धमतरी — डोमन निषाद

(11) श्री. कमलू निषाद पि श्री चैनारिग निषाद
निवासी सेलदीप तह कुरूद जि० धमतरी. — कमलू राम निषाद

(12) श्री जितेन्द्र दिवान पि० रैनसिंग दिवान
निवासी. सेलदीप तह. कुरूद. जि० धमतरी — [signature]

[signature] Akho

[signature]

[signature]
प्रस०ना [illegible]
आर०क्षाम० सं०क्रा०
ह बांग्प० बा०ंम नामपुर

[signature]
M.T.
Champani

13/12/23
के सी साहू
[illegible]

समय ना लिंह
खेमलाल साहू

Annexure R-3

कार्यालय तहसीलदार कुरूद, जिला – धमतरी (छ0ग0)

// ज्ञापन //

क्र./132/तह./वा.1/2023 कुरूद, दिनांक – 20/12/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा) जिला धमतरी

विषय :– **स्थल जांच सीमांकन का प्रतिवेदन भेजने बाबत।**

संदर्भ :– **आपके ज्ञापन क्र. 3200/खनिज/सीमांकन/2023–24 धमतरी दिनांक 14.12.2023**

––00––

सन्दर्भित विषयान्तर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 13.12.2023 को प्राप्त शिकायत जांच छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रतिनिधि, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर धमतरी संयुक्त जांच शियायतकर्त्ता श्री गौरसिंग निषाद व अन्य ग्रामवासी सेलदीप की उपस्थिति में किया गया। उक्त क्षेत्र में पूर्व दिनांक 17.10.2018 से 14.06.2019 तक रेत खदान स्वीकृत रही है। स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र एवं स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त रेत की अवैध निकासी किये जाने के संबंध में स्थल जांच कर अघतन स्थिति के संबंध में आपके द्वारा प्रतिवेदन चाही गई।

उक्त संबंध में हल्का पटवारी प.ह.नं. 55 रा.निम. कुरूद से जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदनानुसार ग्राम सेलदीप स्थित शासकीय भूमि ख0न0 939 रकबा 70.69 हे. की भूमि जो पानी के नीचे (महानदी) के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। महानदी में अवैध रेत निकासी के संबंध में शिकायत की जांच ग्रामवासी एवं ग्राम कोटवार के साथ मौके पर जाकर किया गया। मौके पर स्थल निरिक्षण के दौरान किसी प्रकार से अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है, अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसीलदार
कुरूद

प्रतिवेदन

प्रति

श्रीमान तहसीलदार
तहसील कार्यालय कुरूद

विषय :- स्थल जाँच के संबंध मे

विषयान्तर्गत लेख है कि प.ह.नं. 5 रा.नि.मं. कुरूद तह० कुरूद जिला धमतरी के अंतर्गत ग्राम - सेलद्वीप स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 939 रकबा - 70.69 हे. की भूमि को पानी के नीचे (महानदी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। महानदी में अवैध रेत निकासी के संबंध में किए गए शिकायत की जाँच ग्रामवासी एवं ग्राम कोटवार के साथ मौके पर जाकर किया मौके पर स्थल निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार से अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है। अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नही होना पाया गया।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रस्तुत है।

संलग्न
पंचनामा एक प्रति

(हस्ताक्षर)
20/12/2023

पंचनामा 12

आज दिनांक 20/12/2023 को प.ह.नं. 55 रा.नि.म. कुरुद तह० कुरुद जिला धमतरी के अंतर्गत ग्राम सेलदीप स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 933 का स्थल निरीक्षण ग्रामवासियो, ग्राम कोटवार के साथ मौके पर जाकर किया। मौके पर वर्तमान समय मे किसी भी प्रकार से रेत का उत्खनन नहीं किया जा रहा है। तथा रेत खनन किए जाने के संबंध मे कोई साक्ष्य स्थल निरीक्षण के दौरान नहीं दिखाई दिया।

पंचनामा लिखवा, पढ़ा एवं हस्ताक्षर लिया।

(हस्ताक्षर) 20/12/2023

गोकुलराम

भागीरथी

मुकेश

सुन्दरराम

संतूप धार्व

कोटवार

चिंतामणी साहू

लखन लाल

ओमप्रकाश साहू

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर) रवि

कुलेश्वर

नरोत्तम कुमार

खिलावन

लोकेश्वर दीवान

मनोज साहू

प्रकाश साहू

दुखुरु पटेल

सोमनाथ निषाद

 Annexure R-4

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्रमांक 07722–232013

ई–मेल – miningdhamtari1@gmail.com

क्रमांक 2331 /खनिज/विधि./रेत/शिका./2023 धमतरी, दिनांक 26 /12 /2023

प्रति,

सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
नवा रायपुर अटल नगर(छ0ग0)

विषय – ओ0ए. क्रमांक 136/2023(सी.जेड.) गौर सिंह निषाद एवं अन्य विरूद्व स्टेट ऑफ छ0ग0 एवं अन्य ।

संदर्भः– (1)आपका पत्र क्रमांक 5823/विधि/छ0ग0प0सं0मं0/2023 अटल नगर रायपुर 17.10.2023

(2) कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी का पत्र क्रमांक 8454 दिनांक 20.10.2023 ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम सेलदीप तहसील कुरूद जिला धमतरी में रेत के अवैध उत्खनन/निकासी के संबंध में श्री गौरसिंग निषाद निवासी सेलदीप के द्वारा शिकायत प्राप्त हुए है। प्राप्त शिकायत की जॉच राजस्व/क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण सरक्षण मण्डल रायपुर/खनिज विभाग धमतरी द्वारा सयुक्त जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2023 व तहसील कार्यायल कुरूद का पत्र क्रमांक 132/तह./वा.1/2023 दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जिसमें समक्ष मौका जॉच एवं कथनानुसार ग्राम सेलद्वीप में स्वीकृत रेत खदान अवधी दिनांक 17.10.2018 से 14.06.019 तक ग्राम पंचायत सेलदीप के पक्ष में खसरा क्रमांक 939 रकबा 70.69 हे0 में से 5.00 हे0 क्षेत्र में रेत खदान स्वीकृत रही है। जिसका संचालन ग्राम पंचायत सेलदीप के द्वारा किया जाता था। खदान संचालन से ग्राम पंचायत कों राशि 17,00,000/–रू. राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उक्त शिकायत क्षेत्र पर किसी प्रकार से रेत की उत्खनन होना नही पाया गया तथा ग्राम सेलद्वीप मे खसरा क्रमांक 154/1, 2 रकबा 0. 86 हे. क्षेत्र में परागबढे निवासी दुर्ग को 14790 घनमीटर के लिए अवधी दिनांक 27.05.2021 से 26. 05.2024 तक रेत भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत है। ग्राम सेलद्वीप एवं करेलीछोटी की आपसी सहमति से आवागमन हेतू नदी पर रेम का निर्माण किया गया है। उक्त रेम्प पर पूर्व में स्वीकृत ग्राम करेलीछोटी रेत खदान की रेत निकासी की जाती थी ।

अतः उक्त शिकायत क्षेत्र पर रेत की अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। जिसके कारण उक्त शिकायत पत्र नस्तिबद्ध किया जा सकता है। तत्संबंध में प्रतिवेदन अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सहायक खनि अधिकारी
वास्ते कलेक्टर धमतरी (छ.ग.)

पृ क्रमांक 2331-A /खनिज/विधि./रेत/शिका./2023 धमतरी, दिनांक 26 /12 /2023

प्रतिलिपी :– 1. कलेक्टर जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

2. आवेदन श्री गौरसिंग निषाद निवासी ग्राम सेलदीप जिला तहसील कुरूद जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ।

सहायक खनि अधिकारी
वास्ते कलेक्टर धमतरी (छ.ग.)